

को पेश हो

आदेश से रीडर

18.5.16

पञ्जाबली कोर्ट केम्प महुआबला
पर पेश। वादीया व प्रतिवादी सहमती
ने दुवारेपत होकर शर्जी नामा पत्र
पेश किया गया, जिस में वादीया
व प्रतिवादी ने दुवारेपत होकर
वताया की वादी के सिस्सनुमा
शर्ज-व रेकार्ड में नाम दर्ज कर
दिया जावे ता हमे कोई आपत्ती
नहीं है।

वादी प्रतिवादी सहमत होने
से आदेश दिया जाता है कि
शाम बड़ा महुआ के आगजा

शर्जी
पत्र

नम्बर ५७, ७६७/२, ७९४, ७९५, ७९६, २६७५/७६७

कुल कितना ६ व्युल शका ८.१२ किरुवा पर
वादीपांके हिश-सुपुरमार मन्दारतवकार धरित
विप्रा जाता है, प्रतिलादी म०। व०२ के ज्ञाय
शाब्दिक रेकाई मे नाम दर्ज करे। प्रतिस म० (व०२ के)
पावेंद कितना जाता है कि वादीपांके जबरन कपेवलर्न करे।

आज दिनांक १८-५-६६ के वार्ड के मप
महुराकली मे सर आम सुनाया गया।

फनाकली के शालु गुमार हेकर
नम्बर से नाम है।

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पबेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उम्मेद सिंह राजावत

रामपुत्री विशना बकाई
नि. कडा महुसा

उनवान ① श्रीमती नानी पत्नी विशना

बनाम ② श्रीमती पुत्री विशना पत्नी

दावा बाबत 88, 89, 108 श. का. 31

वंशीलाल जालु बकाई
नि. 0 मुरगरो का मा. पुर
③ लहसालदार भीलवाडा

मुकदमा नम्बर :- 78/13

निर्णय दिनांक :- 18.5.16

वादी की ओर से रुख उपरमेत की व प्रतिवादी की ओर से रुख सो
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.5.16 को म. हुसैन खला (नाम पीठासीन अधिकारी
भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया

जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

~~वादी, प्रतिवादी सहमत होने से आदेश दिया जाता है कि~~

~~गाम बडा महुसा के मास जो नं० 47, 767/1974, 785, 796,~~

~~3675/767 रुपय किरा 06 रु. 12 किरा पर वादीया को~~

~~दिये अनुसार सवास्तकार दायित विपद जाता है उवा व 2~~

~~के साथ राजार के रेकार्ड में वादीया का नाम संवत् के प्रति सं. 1, 2~~
~~के पत्रों के किया जाता है कि वादीया को जबरन खर्च नहीं करे।~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.5.16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

गई।

मूल ही लहसालदार भीलवाडा
के मास कर लेख है कि डिप्टी
अचरनार वालनी करे।

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाडा
पदेन सहायक कलक्टर.....

वादी

पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाडा

प्रतिवादी